

24-5-22 मजदूरों की पेशा है। बर्काल मजदूरों का अनुपात है।
प्रदेशीय न प्रपरी स्वयं एवं बर्काल मजदूरों का
न्यायलय समस्त तक का-का आयामता विधि
लेकिन कोई उपायित नहीं है।

अतः प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना अन्तर्गत धारा-
212 गरीबों, कुलवत आदेश 09 नियम 03-
के अदम हाजरी अदम परकी में कार्यरत किया जा रहा है,
मजदूरों की समस्त सुमा होकर नम्बर से काम होकर
हालित दफ्तर है। निम्न पुले न्यायलय में
सुमायाया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

